न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः- श्री मौहम्मद ताहिर,आर.ए.एस.

उनवान

दुर्गापुरी वगैरा बनाम मनरूप वगैरा

1. दुर्गापुरी पुत्र भौरू
2. मानसिंह पुत्र रामपुरी
3. भूरीसिंह पुत्र रामपुरी
4. गुड्डीदेवी पुत्री रामपुरी
5. उगन्ती वेवा रामपुरी जाति गुसांई निवासी मानपुरा ग्राम पंचायत बीझौली तहसील सरमथुरा

-- वादीगण

बनाम

1. मनरूप पुत्र मूला
2. धर्मसिंह पुत्र मनरूप जाति मीना निवासी खैमरी ग्राम पंचायत गौलारी तह. सरमथुरा
3. कम्पूरी देवी पुत्री भौरू पत्नि रामा जाति गुसांई निवासी महुआखेडा तहसील बाडी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा

-- प्रतिवादीगण

उपस्थित वकील वादी :- श्री सुखरामसिंह परमार एड.

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्याः- 08/2018

दिनांकः- 30.10.2018

निर्णय

दावा वादी इस प्रकार पेश हुआ कि विवादित आराजी खसरा नंबर 154 रकबा 0.08 हैक्टैयर, 155 रकबा 0.04 हैक्टैयर, 156 रकबा 0.02 हैक्टैयर, 157 रकबा 0.04 हैक्टैयर, 158 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 159 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 160 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 161 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम जखा पटवार हल्का गौलारी-I तहसील सरमथुरा में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात के काबिज खातेदार काश्तकार रामपुरी, दुर्गापुरी, कम्पूरीदेवी पिस. भौरू जाति गुसांई निवासी मानपुरा(बीझौली) थे। रामपुरी का देहान्त हो चुका है उसकी सम्पूर्ण विरासत उसके कायम मुकाम एवं वारिसान उसके पुत्रगण मानसिंह, भूरीसिंह व पुत्री गुड्डीदेवी तथा विधवा उगन्ती है जिन्हौने स्व.रामपुरी का सम्पूर्ण हक अधिकार हिस्सा तर्का प्राप्त किया। वे ही अब मौके पर मुताबिक हिस्सा काबिज खातेदार काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी सं.3 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उपयोग, उपभोग कर बरत रहे हैं। वादीगण 2 लगायत5 का विरासत का दाखिला

खारिज अभी तक नहीं खुला है। स्व.रामपुरी के 1/3 भाग स्थान पर उनका नाम नहीं चढाया गया है जिसे चढवाया जावे। वादीगण 2लगा.5 अपना नाम स्व.रामपुरी के 1/3 भाग के स्थान पर चढवाने के अधिकारी है एतर्थ दावेदार है। विरासत का दाखिला खारिज खोला जावे व खातेदार घोषित किया जावे।

वर्तमान में विवादित आराजीयात में पक्षकारान सहखातेदारों में हिस्से निम्न प्रकार है –

1. वादी संख्या 1 – 1/3 भाग
2. वादीगण 2 लगायत 5 – 1/3 भाग
3. प्रतिवादी संख्या 3 – 1/3 भाग

विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार वादीगण एवं तरतीवी प्रति.3 कम्पूरीदेवी है तथा प्रतिवादी सं.1 व 2 मनरूप, धर्मसिंह वगैरा का विवादित आराजी में कोई हित, हक, अधिकार निहित नहीं है। ना ही उनका विवादित आरजी से कोई सम्बन्ध सरोकार है।

प्रतिवादी सं.1व 2 दिनांक 12.1.2018 को 4–5 आदमियों को लेकर विवादित आराजीयात पर आये और विवादित आराजी की मेढ को जबरन तोडने लगे तथा खनन कार्य करने लगे, जबरन आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट करने लगे तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा हुए। वादीगण ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो प्रतिवादीगण ने जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण व उनके साथियों ने वादीगण की उक्त आराजी की मेढों को नष्ट–भ्रष्ट कर दिया तथा जबरन जगह–जगह गड्ढे खोद डाले पत्थर तलासने लगे। खनन कार्य करने पर आमादा हुये एवं आराजी को भी बर्बाद करने लगे तथा खेतों से बेदखल करने पर आमादा हो गये जिसका उन्हैं कोई अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी सं.1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा करने, आराजी को नष्ट भ्रष्ट करने एवं जबरन अवैध खनन कार्य करने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये आदेश स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करना आवश्यक हो गया है वरना वे वादीगण की खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा वादीगण को विवादित आराजी के आधिपत्य, उपयोग व उपभोग से बेदखल कर देंगे।

वादकरण दिनांक 12.1.18 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को धमकी देने तथा मना करने पर झगडा करने से स्थान ग्राम जखा पटवार हल्का गौलारी–I अंदर हदूद अदालत पैदा है जो आज भी जारी है।

अतः वादीगण ने निवेदन किया है कि दावा वादीगण एवं प्रतिवादी सं.3 खिलाफ प्रतिवादी सं.1व 2 इस आशय से डिक्री किया जावे कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 154रकबा 0.08हैक्टैयर,155 रकबा 0.04हैक्टैयर,156 रकबा 0.02हैक्ट., 157 रकबा 0.04हैक्टैयर, 158 रकबा 0.04हैक्टेयर, 159 रकबा 0.05हैक्टेयर, 160 रकबा 0.03हैक्टेयर, 161 रकबा 0.04हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 0.34हैक्टेयर वाके ग्राम जखा पटवार हल्का गौलारी–I तहसील सरमथुरा के वादी सं.1 हिस्सा 1/3, वादीगण 2लगायत 5 हिस्सा 1/3 तथा तरतीवी प्रति.सं.3 हिस्सा 1/3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के आधिपत्य उपयोग, उपभोग तथा कब्जा काश्त में किसी प्रकार ही मजाहमद व मदाखलत वेजा नहीं करें ना ही जबरन मेढों को तोडें, ना ही जबरन कब्जा करें ना ही गड्ढा खोद–खोदकर अवैध खनन कार्य करें और ना ही जबरन बेदखल करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बाद तामील सम्मन न्यायालय में अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू-1 दुर्गापुरी एवं पीडब्ल्यू-2 परिमाल के बयान कराये गये। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मुताबिक धारा 188 आर.टी.एक्ट विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना चाहिये एवं मौके पर उसका कब्जा होना चाहिये। उक्त दोनों ही बातें वादी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध कर दी है। वादी सं.2लगायत5 काबिज मालिक खातेदार काश्तकार है परन्तु विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है जिसे खुलवाने की भी प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, उपलब्ध रिकॉर्ड को देखा गया, वादी की बहस पर मनन किया गया। समस्त अध्ययन के मुताबिक दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है। स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा स्वयं की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करने, मेढों को नहीं तोडने, फसल को नुकसान नहीं करने एवं जबरन अवैध खनन कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है कि वादी संख्या 2लगायत 5 का विवादित आराजीयात पर नाम अंकित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 154रकबा0.08 हैक्टैयर, 155 रकबा 0.04हैक्टैयर, 156 रकबा 0.02हैक्टैयर, 157 रकबा 0.04हैक्टे, 158 रकबा 0.04हैक्टेयर, 159 रकबा 0.05हैक्टेयर, 160 रकबा 0.03हैक्टेयर, 161 रकबा 0.04हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 0.34हैक्टेयर वाके ग्राम जखा पटवार हल्का गौलारी-I तहसील सरमथुरा में वादीगण के कब्जे काश्त में जबरन कब्जा नहीं करें, मेढों को नहीं तोडें, फसल को नुकसान नहीं करें एवं जबरन अवैध खनन कार्य नहीं करें, कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें और ना ही किसी और से करावें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा